उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,
14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयगराज

फोन नं.0532 -2421855

e-mail: nczcc@rediffmail.com website: www.nczcc.in

<u>निविदा सूचना</u>

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज द्वारा केन्द्र परिसर स्थित गेट नं. 02 पर बने कमरे को खुली जगह के साथ किराये पर टी–स्टाल (कैंटीन) चलाने के उद्देश्य से किराये पर आवंटित किये जाने हेतु फर्म के निर्धारण के लिए अनुभवी फर्मों एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज से समबद्ध उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, दिल्ली के व्यंजनकारों से ऑफलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के लेखा अनुभाग से रू0 500/– प्रत्येक नगद अथवा डी.डी. (जो निदेशक, उ0म0क्षे0सां0के0, प्रयागराज के पक्ष में देय हो) निविदा शुल्क जमा करने पर दिनांक 21.08.2025 से 02.09.2025 तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज की वेबसाइट www.nczcc.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदा शुल्क रु. 500/- जमा करना अनिवार्य होगा। डाउनलोड/कय किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क की मूल रसीद भी जमा करना आवश्यक होगा। निविदा दिनांक 03.09.2025 को अपरान्ह 12 बजे तक सील बंद लिफाफे में केन्द्र कार्यालय में रखे हुए ड्राप बॉक्स में जमा करना होगा। सुनिश्चित करें कि लिफाफे के ऊपर निविदा का नाम/विवरण लिखा गया है। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 03.09.2025 को अपरान्ह 3 बजे केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	निविदा बिक्री की तिथि एवं समय	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने का समय
1.	कैन्टीन (गेट नं. 2 पर)	कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष तक	निविदा आमंत्रण की तिथि से 02.09.2025 को अपराह्न 3 बजे तक	03.09.2025 को अपराह्न 12.00 बजे तक	03.09.2025 को अपराह्न 03. बजे

निदेशक

निविदा की शर्तें

1. कैन्टीन (गेट नं. 2) को किराये पर चलाने हेतु केन्द्र द्वारा ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कैन्टीन के लिये कुल स्थान 36' x 23'=828 वर्ग फुट है जिसमें 10' x 10'= 100 वर्ग फुट का कवर्ड स्थान और शेष 728 वर्ग फुट खुला स्थान है।
2. प्रत्येक निविदा के साथ फर्म को रूपये 20,000.00 की धरोहर राशि जमा करनी अनिवार्य होगी। उक्त धनराशि नगद अथवा डी.डी. (जो निदेशक, उ0म0क्षे0सां0के0, प्रयागराज के पक्ष में देय हो) जमा करानी होगाी तथा नगद जमा की मूल रसीद या मूल डी.डी. निविदा के साथ लगानी होगी। जिस फर्म को टी–स्टाल (कैंटीन) का आवंटन नहीं होगा, उसकी धरोहर राशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
3. जिस फर्म को टी–स्टाल (कैंटीन) का आवंटन किया जायेगा, फर्म को रु. 1,00,000.00 जमानत राशि (Performance Security) नगद अथवा डी.डी. (जो निदेशक, उ0म0क्षे0सां0के0, प्रयागराज के पक्ष में देय हो) जमा करना होगा। साथ ही एक माह का किराया अग्रिम जमा करना होगा। इसी प्रकार प्रत्येक माह की 01 से 07 के बीच में फर्म द्वारा केन्द्र में किराये की धनराशि अग्रिम जमा करनी होगी।
4. केन्द्र द्वारा टी–स्टाल (कैंटीन) के पास पानी के स्रोत हेतु नल की व्यवस्था की गयी है, परन्तु आउटलेट पर मरम्मत सम्बन्धी व्यय फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
5. केन्द्र द्वारा विद्युत स्रोत पर मीटर लगाया गया है, जिस पर रीडिंग के अनुसार फर्म द्वारा विद्युत बिल का भुगतान किराये के अतिरिक्त करना होगा।
6. फर्म को गेट नं0 2 खोलकर ग्राहकों को अन्दर बिठाने एवं बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। वर्तमान में टी–स्टाल (कैंटीन) जिस प्रकार से चल रही है, उसी प्रकार चलाने की अनुमति दी जायेगी।
7. गेट नं. 2 को खोलने की अनुमति कच्चा माल टी–स्टाल (कैंटीन) में ले आने अथवा बाहर ले जाने की स्थिति में होगी। माल ले आने अथवा ले जाने की अनुमति गेट नं0 1 से नहीं होगी।
8. केन्द्र द्वारा, केन्द्र और फर्म के मध्य 12 माह के अनुबंध के आधार पर टी–स्टाल (कैंटीन) का आवंटन किया जायेगा, इसके पश्चात यदि फर्म चाहे तो 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के आधार पर प्रति वर्ष अगले 2 वर्षों के लिए अनुबन्ध को नवीनीकृत करा सकता है।
9. फर्म के पास जी.एस.टी. दावा करने की स्थिति में वैध जी.एस.टी. नं. होना अनिवार्य है।
10. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के पास बिना कारण बताये एक अथवा प्राप्त सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार निहित होगा।
11. टी–स्टाल आवंटन के पश्चात जमानत राशि जमा होने पर फर्म के द्वारा संतोषजनक सेवाएं न दिये जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। साथ ही जमानत राशि वापसी के सन्दर्भ में निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र का निर्णय फर्म को मान्य होगा।
12. टी–स्टाल आवंटन की स्थिति में फर्म के द्वारा उपरोक्त नियम व शर्तें रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर केन्द्र में जमा करनी होंगी।
13. आवंटन की शर्तो का अनुपालन न करने या अन्य प्रशासनिक कारणों से आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
14. फर्म के द्वारा संलग्न प्रोफार्मा पर ही दरें प्रस्तुत की जायेंगी।
15. उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, दिल्ली के व्यंजनकारों को अनुभव के आधार पर वरीयता दी जायेगी।

16. टी स्टाल (कैंटीन) के लिये कुल किराये का बेस वैल्यू बोली रु. 80,000.00 प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। निविदादाता रु. 80,000.00 या इससे अधिक की बोली लगानी होगी।

17. दर अधोलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तुत की जा रही हैं।

(क) उपलब्ध स्थान– 36′ × 23′ = 828 वर्ग फुट

किराया @ .... प्रति माह

(ख) बिजली का बिल उपभोग के आधार पर प्रति यूनिट अतिरिक्त देय होगा।

घोषणा

मैं/हम..पुत्र श्री ....फर्म ....यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्ते पढ़ और समझ ली है। मैं/हम इनका पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांक .... निविदादाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर .... फर्म का नाम व पता

मो0नं0–

जी.एस.टी. नं0–

पैन कार्ड नं0–

आधार कार्ड की छायाप्रति–